

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम:-दाबका नदी में उपखनिज चुगान कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रामनगर

**अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, रामनगर**

उपखण्ड रामनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत बैलपड़ाव रेंज की दाबका नदी में उपखनिज चुगान हेतु 112.00 है० (112.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि वन भूमि 0.00 है०) का उत्तराखण्ड-वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रामनगर) की दिनांक ~~20/11/2021~~ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गौरव चटवाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-श्री गौरव चटवाल, उपजिलाधिकारी रामनगर - अध्यक्ष

2-श्री शिशपाल सिंह रावत, उप प्रभागीय वनाधिकारी -सदस्य

3-श्रीगती नीलम ज्योति, सहायक समाज कल्याण अधिकारी-सदस्य/सचिव

4-श्री ~~जति चटवाल~~ बी०डी०सी० क्षेत्र ~~किशनपुर छोई~~ सदस्य

5-श्री ~~मोरध्वज सिंह~~ बी०डी०सी० क्षेत्र ~~नाथपुर छोई~~ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत बैलपड़ाव रेंज की दाबका नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 112.00 है० वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मागला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

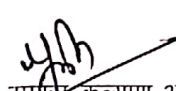
बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रामनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत बैलपड़ाव रेंज की दाबका नदी में उपखनिज चुगान परियोजना के निर्माण हेतु 112.00 है० वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को जगहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - रामनगर
जनपद - नैनीताल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

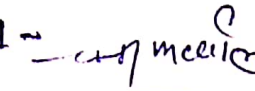

उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - रामनगर


उप प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग,
रामनगर (नैनीताल)।

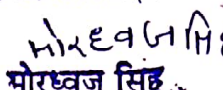

सहायक समाज कल्याण अधिकारी,
सहायक स्थानिक विकास अधिकारी
विकास खण्ड-रामनगर (नैनीताल)

क्षेत्र पंचायत सदस्य


प्रभागीय प्रवक्ता खनन
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर (नैनीताल)

1- 
सदस्य

क्षेत्र पंचायत
वि० ख० रामनगर (नैनीताल)

2- 
मोरध्वज सिंह
(क्षेत्र पंचायत सदस्य)
ग्राम पंचायत नाथपुर छोई